न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

पुर सिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा धारा-225 मि.नं. 163/2018 सन ....

अभिभाषक अपीलान्ट हुकमचंद कुमावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19-01-24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पैरोकार सरकार अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति [illegible] मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा
केम्प झालावाड
अपील संख्या ..... / 2018

पूरसिंह आत्मज सरदारसिंह उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम बेडला तहसील गंगधार जिला झालावाड (राज.) – अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार – रेस्पोन्डेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 11.7.2018 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार बउनवान पूरसिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या ...../2014 अंतर्गत धारा प्रार्थना पत्र 212 रा.का. अ. 1955
अपील अंतर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम

माननीय महोदय,

अपीलान्ट निम्न अपील सादर पेश करता है:–

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.6.1972 को प्रार्थी अपीलान्ट ने खातेदार हरीसिंह आत्मज गुलाबसिंह से प्रतफल विक्रय राशि 3500/–रूपये अदाकर खसरा नं. 946 रकबा 125 बीघा 6 बिस्वा में से 35 बीघा भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 16.6.1972 को उप पंजीयक गंगधार के यहां पर तस्दीक किया गया। वक्त खरीद 16.6.1972 से कब्जा निरन्तर अखण्डित बिना बाधा एवं बेदखली के जन सामान्य, प्रशासन, अप्रार्थी के ज्ञान से प्रार्थी अपीलान्ट का आज तक चला आ रहा है, जिसे लगभग 41 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा आराजी क्रय करने के पश्चात विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण सं. 174 दिनांक 14–12–1972 को तहसील गंगधार द्वारा खसरा नं. 946 रकबा 125 बीघा 6 बिस्वा में से 35 बीघा भूमि का दर्ज कर खसरा नं. 946/3 अस्तित्व में आकर नामान्तरण दर्ज किया गया तथा इस नामान्तरण सं. 174 का इन्द्राज अंकन राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी संवत 2022–2025 में किया। खसरा नं. 946 रकबा 125 बीघा 6 बिस्वा के सेटलमेंट के पश्चात विभिन्न खसरा नंबर बने है, तथा रकबा भी पुराना 13 बिस्वा का 1 बीघा का रहा है जो वर्तमान में 20 बिस्वा का 1 बीघा होने से खरीद भूमि आराजी 35 बीघा का हाल रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा बनता है। इस 22 बीघा 8 बिस्वा में से 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थी अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है तथा शेष 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि हाल खसरा नं. 1052/2 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि राज सरकार के सिलिंग भूमि में दर्ज खसरा नं. 1052/2 रकबा 32 बीघा में से प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज होना है, क्योंकि यह भूमि 10 बीघा 11 बिस्वा प्रार्थी अपीलान्ट की खरीद भूमि हैं। दिनांक 16.1.1978 से विक्रेता हरिसिंह की खातेदारी की भूमि को पुनः सिलिंग एक्ट के तहत अधिगृहित किया गया। इसमें आराजी खसरा नं. 1052 की 32 बीघा भूमि व खसरा नं. 1932 की 16 बीघा भूमि को अवाप्त के आदेश गलत दिये गये थे, क्योंकि जो भूमि खसरा नं. 1052 की 35 बीघा भूमि प्रार्थी अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि थी। इस कारण भूमि को राज सरकार दर्ज करना गलत आदेश था। क्योंकि इस कार्यवाही के दौरान प्रार्थी अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया और ना ही सक्षग न्यायालय में ऐसी कोई सूचना अवाप्ति भूमि बाबत प्रार्थी अपीलान्ट को नही दी गई। ना ही अवाप्ति भूमि हेतु सूचि जो खातेदार हरिसिंह द्वारा पेश की गई उसमें